2/25/11

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : निगरानी/कोलो./1384/2007/बीकानेर

भंवरलाल पुत्र सुरजनराम जाति विश्नोई निवासी 5 डी.ओ.बी.बी. तहसील कोलायत

–प्रार्थी

बनाम

1. मालूराम पुत्र काछवाराम जाति विश्नोई निवासी माणकासर तहसील कोलायत
2. राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत जिला बीकानेर

–अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य

WR

उपस्थितः–

श्री ओमप्रकाश आचार्य, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री हरीराम, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1
श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 23-11-2011

प्रार्थी ने यह निगरानी नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1975 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न.प., बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-1-2007 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी (इन्दिरा गांधी नहर

परियोजना) कोलायत द्वारा दिनांक 24-4-2006 को अप्रार्थी संख्या-1 मालूराम को चक 5 डीओबीबी के मु0न0 76/6 के किला नम्बर 12 ता 14, 18-19 में 05 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर रमालपेच आवंटित की गयी। उक्त आवटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न.प., बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 9-1-2007 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं मनमाने ढग से विधि व प्रकिया के सारभूत सिद्धान्तों को नजरअन्दाज कर पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हुए आवंटी द्वारा धारित समस्त भूमि की जांच नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या-1 के विशेष आवंटन से पूर्व 59 बीघा 02 बिस्वा कमाण्ड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी, जिसे छिपाकर अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा विवादित भूमि का विशेष आवंटन करवाया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-1 ने आलोच्य आदेश को विधि सम्मत् होना कहते हुए निगरानी को खारिज करने की प्रार्थना की है। उनका यह भी कथन है कि आवंटन अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों की जांच कर उनके पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया था तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को विधिसम्मत् निर्णय से निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया है।

7. राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 में छोटी पट्टी के आवंटन का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है-

> Allotment of small patch:- {1} Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood.

8. उक्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि छोटी पट्टी के आवंटन के लिए मुख्य रूप से तीन शर्तों का होना आवश्यक है-

1. आवंटी खातेदार काश्तकार होना चाहिए।
2. आवंटित की जाने वाली भूमि उसकी खातेदारी भूमि के चिपती हुई होनी चाहिए।
3. छोटी पट्टी आवंटन के बाद भी उसके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।

9. हस्तगत प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसके अवलोकन से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि आवंटी खातेदार काश्तकार है तथा छोटी पट्टी में दी जाने वाली भूमि उसी मुरब्बा की भूमि का भू-भाग है, जिसमें उसकी खातेदारी भूमि स्थित है परन्तु पूरे प्रकरण मे आवंटन अधिकारी द्वारा यह कहीं भी सुनिश्चित नहीं किया गया है कि आवंटी को यह छोटी पट्टी भूमि आवंटन कर दिये जाने के उपरान्त भी उसके पास कुल भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं हो जाती है। प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से अपनी निगरानी मीमों में यही बिन्दू उठाया गया है तथा उसके द्वारा आवंटन से पूर्व आवंटी के काश्त में धारित भूमि के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है कि आवटी के पास पूर्व में ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि धारण में थी, जिसका कुल रकबा 59 बीघा 02 बिस्वा होता है। इसी प्रकार अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न.प., बीकानेर द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में भी इस बाबत् कोई विवेचना एवं विश्लेषण नहीं कर कानूनी त्रुटि की गयी है। अतः अप्रार्थी संख्या-1 आवंटी के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि की विधिवत् जांच किये जाने बाबत् प्रकरण को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इ.गा.न.प., कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 9-1-2007 एवं 24-4-2006 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इ.गा.न.प., कोलायत को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे आवंटी अप्रार्थी संख्या-1 के धारण में सीलिंग

सीमा से अधिक भूमि की विधिवत् जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-11-2011
(ताराचन्द सहारण)
सदस्य